दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 05 नवंबर 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 38

महत्वपूर्ण एवं खास

बिहार में सीआरपीएफ कांस्टेबल ने खुद को गोली मारी

पटना (आरएनएस)। बिहार के गया जिले में गुरुवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक कांस्टेबल ने आत्महत्या करने की कोशिश की। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। गया जिले के नक्सल प्रभावित इमामगंज प्रखंड में सीआरपीएफ की 159 बटालियन में तैनात छोटूलाल जाट ने अपनी इंसास राइफल से खुद को गोली मार ली। फायरिंग की आवाज सुनकर अन्य लोग उसकी ओर दौड़े और जाट को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा पाया। उसके पास उसकी इंसास राइफल भी मिली थी। बटालियन के कमांडेंट समीर कुमार ने कहा, हमने उसे गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया है और बाद में उसे पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसकी हालत गंभीर है। उन्होंने कहा, हम इतना बड़ा कदम उठाने के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वह होश में आएगा हम उसका बयान दर्ज करेंगे।

हैदराबाद में एटीएम कैश वाहन के साथ चालक फरार

हैदराबाद (आरएनएस)। एक कैश मैनेजमेंट कंपनी का ड्राइवर गाड़ी के साथ 31 लाख रुपये लेकर हैदराबाद से फरार हो गया। घटना गुरुवार शाम राजेंद्रनगर में उस वक्त हुई जब कंपनी का कर्मचारी केनरा बैंक के एटीएम में कैश डिस्पेंसिंग मशीन को रिफिल करने आया था। इस घटना को लेकर पुलिस ने कहा कि जब चारों कर्मचारी वाहन से उतरे और एटीएम में रिफिलिंग की व्यवस्था करने गए तो चालक वाहन लेकर फरार हो गया। गनमैन चंद्रैया कुछ देर बाद एटीएम से कैश लेने के लिए निकला। उन्होंने वाहन को गायब पाया। इसके बाद उन्होंने एटीएम बूथ में मौजूद अन्य कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। उन्होंने कंपनी को सूचित किया, जिसने राजेंद्रनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तलाशी शुरू की तो वाहर किस्मतपुर पुल के पास लावारिस मिला। चालक फारूक (25) तीन लाख रुपये के साथ लापता था, शेष 28 लाख रुपये पुलिस ने जब्त कर लिए। शहर के बोराबंदा क्षेत्र के निवासी चालक की तलाश की जा रही है। इस साल हैदराबाद में इस तरह की यह दूसरी घटना है। फरवरी में एक कैश मैनेजमेंट कंपनी का ड्राइवर शहर के बाहरी इलाके डुंडीगल में 36 लाख रुपये लेकर फरार हो गया था।

डेढ़ करोड़ से अधिक कीमत के सोने व हीरे के आभूषण पकड़ाएं

पांवटा साहिब (आरएनएस)। हिमाचल-हरियाणा सीमा पर बहराल बैरियर पर वाहनों की चैकिंग के दौरान दिल्ली की एक गाड़ी से करोड़ों रुपए के सोने और हीरे के आभूषण बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार बहराल चैक पोस्ट पर देर रात वाहनों की चैकिंग में एक गाड़ी (डीएल 8सीएबी-0439) से 3.270 किलोग्राम सोने व हीरे के आभूषण बिना चालान के बरामद किए। इनकी कीमत पुलिस ने 1 करोड़ 60 लाख 50 हजार 708 रुपए आंकी है। चालक दिल्ली के करोल बाग से देहरादून जा रहा था। मामला आबकारी विभाग को सौंपा गया, जिसने चालक पर 9 लाख 35 हजार का जुर्माना लगाया। डीएसपी पांवटा साहिब रमाकांत ठाकुर ने बताया की पुलिस टीम ने एक गाड़ी से सोने के आभूषण व हीरे बरामद किए हैं। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मध्यप्रदेश में भीषण सड़क हादसा, बस-कार की टक्कर में दो बच्चों समेत 11 मजदूरों की दर्दनाक मौत

बैतूल (आरएनएस)। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में गुरुवार देर रात बस और कार वाहन के बीच आमने-सामने से हुई टक्कर में दो बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। कार में मजदूर सवार थे। यह हादसा झल्लार थाना क्षेत्र में हुआ। झल्लार थाने के प्रभारी दीपक पाराशर ने बताया कि बैतूल की तरफ से जा रही निजी बस और परतवाड़ा की तरफ से मजदूरों को लेकर आ रही कार के बीच आमने-सामने से टक्कर हो गई। घटना इतनी भीषण थी कि कार में सवार सभी लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

बैतूल एसपी सिमला प्रसाद ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि सभी लोग अमरावती के एक गांव में बैतूल के झल्लार से 20 दिन पहले मजदूरी करने गए थे, सभी लोग गुरुवार रात करीब 9 बजे अमरावती से झल्लार के लिए रवाना हुए थे, रात करीब सवा दो बजे का चालक को झपकी लगी और कार सीधे बस में जा घुसी। हादसा काफी भीषण था। सभी 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। कार की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना काफी भयावह रही होगी। बताया गया है कि पुलिस और स्थानीय लोगों ने 11 में से सात शव तुरंत निकाल लिए थे बाकी चार शवो को कार के हिस्से को काट कर निकालना पड़ा। झल्लार पुलिस ने सभी शवो को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतको की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

एंबुलेंस और मिनी ट्रक के बीच टक्कर, 2 की मौत 4 घायल

गाजियाबाद (आरएनएस)। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। एंबुलेंस और मिनी बस से टक्कर हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई और 4 घायल हुए हैं।शुक्रवार सुबह दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार से आ रही एंबुलेंस और मिनी ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। मौके पर पहुंची पुलिस और राहत बचाव की टीम ने ट्रक और एंबुलेंस में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी की एंबुलेंस के परखच्चे उड़ गए। आसपास के गांव के लोगों ने भी मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू टीम की मदद की। आसपास के लोगों के मुताबिक एंबुलेंस रॉन्ग साइड से काफी तेज जा रही थी। घटना मसूरी थाना क्षेत्र के सिकरोड के पास डीएमई पर हुई।

तमिलनाडु में रेफ्रिजरेटर विस्फोट में तीन भाई-बहनों की मौत

चेन्नई (आरएनएस)। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में शुक्रवार तडक़े एक भीषण घटना में दो महिलाओं समेत तीन भाई-बहनों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान वी. गिरिजा (63), उनकी बहन एस राधा (55) और उनके भाई राजकुमार (48) के रूप में हुई है। राजकुमार की पत्नी भार्गवी (41) और बेटी आराधना (7) अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने कहा कि परिवार गिरिजा के पति वेंकटरमन की पहली पुण्यतिथि की रस्म निभाने के लिए चेंगलपट्टू आया था, जिनका पिछले साल बीमारी के कारण निधन हो गया था। गिरिजा दुबई में अपने बेटे के साथ रह रही थी और 2 नवंबर को गुडुवनचेरी में अपने परिवार के फ्लैट में लौटी थी और उसके भाई-बहन और परिवार गुरुवार को आए थे। घर में शुक्रवार को रेफ्रिजरेटर में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे दम घुटने लगा और तीनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, भार्गवी और आराधना बेडरूम में सो रहे थे, जबकि तीनों भाई-बहन लिविंग रूम में थे। रेफ्रिजरेटर के फटने के बाद धुंए के कारण भार्गवी और आराधना का दम घुटने लगा। पड़ोसी ने मदद के लिए चीख-पुकार सुनी तो उन्होंने फ्लैट का दरवाजा तोड़ दिया। गुडुवनचेरी पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि , डॉक्टरों ने राजकुमार, गिरिजा और राधा को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया।

आधार कार्ड न होने पर गर्भवती महिला को अस्पताल ने नही किया भर्ती, घर में जुडवां बच्चों को जन्म देते समय मौत

बेंगलुरु (आरएनएस)। तमिलनाडु की एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने के बावजूद यहां एक अस्पताल ने कथित तौर पर भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसके जुड़वां नवजात बच्चों और उसकी मौत हो गई। महिला के पड़ोसियों ने यह जानकारी दी। इस मामले में एक डॉक्टर और तीन नर्सों को सस्पेंड कर दिया गया है।

घटना तुमकुरू जिले की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, महिला के पास कथित तौर पर आधार या मातृत्व कार्ड न होने के कारण अस्पताल प्रशासन से उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिससे प्रसव के दौरान महिला व उसके दो नवजातों की मौत हो गई।

महिला के पड़ोसियों ने बताया कि मृतक महिला का नाम कस्तूरी था। वह भारती नगर स्थित एक घर में एक अन्य लडक़ी के साथ रह रही थी। महिला का पति कहीं और रहता था। बताया गया कि बुधवार शाम महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो पड़ोसी उसे एक ऑटोरिक्शा से तुमकुरू जिला अस्पताल ले गए। हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने आधार व मातृत्व कार्ड न होने पर महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया और उसे वापस घर भेज दिया।

पड़ोसियों ने बताया, घर लौटने के बाद कस्तूरी की प्रसव पीड़ा तेज हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। हालांकि, दूसरे बच्चे को जन्म देते समय उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के कुछ देर बाद उसके पहले बच्चे की भी मौत हो गई। पड़ोसियों ने बताया, कस्तूरी की एक छह साल की बेटी भी है। स्थानीय लोग इस मामले की शिकायत के लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास पहुंचे, जिन्होंने दोषी डॉक्टर्स के खिलाफ कड़ा ऐक्शन लेने की मांग की। डीएचओ मंजुनाथ ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े डॉक्टर और स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है।

नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद उसे जान से मारने का प्रयास, दो को मौत की सजा

प्रतापगढ़ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के दो आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। साथ ही एक आरोपी नाबालिग था, इसलिए उसका मामला किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। 27 दिसंबर, 2021 को किए गए अपराध के 11 महीने के भीतर फैसला सुनाया गया।

इसके अलावा, अदालत ने दोनों आरोपियों को 11 वर्षीय पीड़िता के साथ बलात्कार करने और उसकी बाईं आंख और चेहरे और पैर की हड्डियों को भी नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपराध का संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे।

पॉक्सो अदालत ने 10 महीने के भीतर मुकदमे को समाप्त कर दिया था और 21 अक्टूबर, 2022 को दो आरोपियों हलीम और रिजवान को नाबालिग लडक़ी के साथ बलात्कार, अपहरण और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने का दोषी ठहराया था, जिसमें तीसरा आरोपी नाबालिग था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीन आरोपी हलीम, रिजवान और एक अन्य ने नाबालिग लडक़ी से बलात्कार और गंभीर रूप से घायल करने के बाद उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया और भाग गया।

प्रतापगढ़ जिले के नवाबगंज थाने में उसी दिन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 326 (चोट), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) और 363 (अपहरण) और पॉक्सो अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

पीड़िता का भाई, जो इस मामले में शिकायतकर्ता है, बेहोशी की हालत में अपनी बहन को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल ले गया।

पांच दिनों के बाद जब उसे होश आया, तो पीड़िता ने पुलिस के सामने एक बयान दिया, जिसमें तीन आरोपियों की पहचान की गई।

नवाबगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार के अनुसार, आपराधिक मामला दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और दो महीने के भीतर मेडिकल के साथ-साथ फॉरेंसिक साक्ष्य सहित सभी साक्ष्य एकत्र किए।

तीनों आरोपितों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

लडक़ी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया।

जांच पूरी करने और घटना से जुड़े सभी व्यक्तियों के बयान दर्ज करने के बाद, पुलिस द्वारा तुरंत दो महीने के भीतर तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई।

इंस्पेक्टर के मुताबिक, बच्ची इलाज के बाद धीरे-धीरे ठीक हो गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसकी 11 वर्षीय बहन 27 दिसंबर, 2021 को किराने की दुकान पर जा रही थी, तभी तीन आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और पास के रेलवे ट्रैक पर ले गए।

कांग्रेस के 2 विधायकों पर बड़ी कार्यवाई, आईटी की रेड- ईडी का भी छापा

नई दिल्ली (आरएनएस)। एक बार फिर दिन की शुरुआत छापेमारी के साथ हुई है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कई जगहों पर छापेमारी जारी है। इसके अलावा झारखंड में कांग्रेस विधायकों के ठिकानों पर आयकर विभाग (आईटी) की रेड जारी है।

पश्चिम बंगाल और झारखंड में एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी का तलाशी अभियान जारी है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही है, जिसमें डिफेंस/सेना की जमीन का अवैध रूप से दुरुपयोग किया गया है।

झारखंड में कांग्रेस के दो विधायकों के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और अनूप सिंह के आवास पर आईटी की रेड जारी है।

कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और प्रदीप यादव के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। कांग्रेस के पौड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, बेरमो विधायक अनूप सिंह और शिवशंकर यादव के ठिकाने पर आईटी की टीम शुक्रवार की सुबह से छापामारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक, बिहार और झारखंड की आईटी टीम रांची के कांके रोड और डोरंडा स्थित ठिकाने पर पहुंचकर छापेमारी कर रही है।

टेरर फंडिंग मामला : ईडी ने कश्मीरी अलगाववादी नेता की संपत्ति की कुर्क

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जेल में बंद अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की 21.80 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। प्रॉपर्टी श्रीनगर के बोटशाह कॉलोनी में स्थित है। ईडी ने हाफिज मुहम्मद सईद और अन्य के खिलाफ आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि शब्बीर अहमद शाह पथराव, जुलूस, विरोध, बंद, हड़ताल और अन्य विध्वंसक गतिविधियों के माध्यम से कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था। इसके अलावा, पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि शब्बीर अहमद शाह आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एचएम) और पाकिस्तान स्थित अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ-साथ हवाला और विभिन्न अन्य माध्यमों और चैनलों के माध्यम से पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से धन प्राप्त करने में शामिल था। इन पैसों का इस्तेमाल तब कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए किया जा रहा था। जांच के दौरान, शब्बीर अहमद शाह के नाम पर 21.80 लाख रुपये की अचल संपत्ति की पहचान की गई और उसे पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया। मामले में आगे की जांच जारी थी।

एटीएस ने आतंकवादी संगठन से जुड़ाव रखने के आरोप में दो को किया गिरफ्तार

लखनऊ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने सहारनपुर जिले के देवबंद शहर से दो आतंकी समूहों- एक्यूआईएस (भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा) और जेएमबी (जमात-उल मुजाहिदीन, बांग्लादेश) के साथ कथित जुड़ाव के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में पूर्व में गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ में नाम सामने आने के बाद दोनों आरोपियों को सहारनपुर से लखनऊ लाया गया है।

एटीएस के अधिकारियों ने एक प्रेस बयान में कहा कि दोनों की पहचान 28 वर्षीय आश मोहम्मद (देवबंद निवासी) और 23 वर्षीय मोहम्मद हारिस (हरिद्वार निवासी) के रूप में हुई है, जो वर्तमान में देवबंद में रह रहे हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि दोनों को देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले दो समूहों के साथ कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने कहा, इससे पहले लुकमान, शहजाद, कारी मुख्तार, मुदस्सर, कामिल, अली नूर, नवाजिश अंसारी और मोहम्मद अलीम सहित आठ लोगों को एक्यूआईएस और जेएमबी के साथ कथित संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया था और अब गिरफ्तार किए गए दोनों के नाम सूचना में सामने आए हैं।

इसरो के 'रिसैट-2' ने पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से प्रवेश किया, जकार्ता के पास हिंद महासागर से टकराया

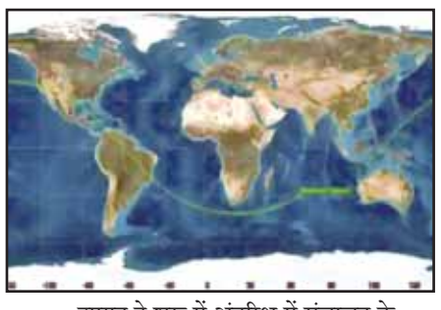

चेन्नई (आरएनएस)। भारत का निष्क्रिय रडार इमेजिंग सैटेलाइट-2 (आरआईएसएटी-2) 30 अक्टूबर को अनियंत्रित तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया और जकार्ता के पास हिंद महासागर से टकराया। यह जानकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने दी है। 300 किलोग्राम आरआईएसएटी-2, एक निगरानी उपग्रह, 20 अप्रैल, 2009 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) का उपयोग करके लॉन्च किया गया था।

चार साल के डिजाइन जीवन के साथ उपग्रह ने शुरू में अंतरिक्ष में संचालन के लिए 30 किलो ईंधन ले लिया था। इसरो के अनुसार, पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने पर उपग्रह के पास कोई ईंधन नहीं था और अध्ययनों ने पुष्टि की कि एयरो-थर्मल विखंडन के कारण उत्पन्न टुकड़े पुन: प्रवेश हीटिंग से नहीं बचे होंगे और इसलिए कोई भी टुकड़ा पृथ्वी को प्रभावित नहीं करेगा।

अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि, उपग्रह के पुन: प्रवेश की निगरानी इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा रॉकेट बंदरगाह पर मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार (एमटीओआर) और सॉफ्टवेयर विश्लेषण के साथ की गई थी। इसरो ने जोर देकर कहा, जैसा कि 13.5 वर्षों के भीतर आरआईएसएटी-2 ने फिर से प्रवेश किया, इसने अंतरिक्ष मलबे के लिए सभी आवश्यक अंतरराष्ट्रीय शमन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया, जो बाहरी अंतरिक्ष की दीर्घकालिक स्थिरता के प्रति इसरो की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दोषसिद्धि सिर्फ न्यायेतर कबूलनामे पर आधारित नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब न्यायेतर कबूलनामे की पुष्टि किसी और विश्वसनीय सबूत से नहीं होती है, तब सिर्फ कमजोर सबूतों के आधार दोषसिद्धि नहीं हो सकती। प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक को संबोधित पत्र के माध्यम से एक आरोपी द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर बहुत अधिक भरोसा किया था।

पीठ ने कहा, इस तथ्य के अलावा कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक बहुत ही कमजोर टुकड़ा है, उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस आधार पर उस पर भरोसा करने से इनकार कर दिया था कि न तो हस्तलेख विशेषज्ञ की जांच की गई थी और न ही अभियोजन पक्ष ने हस्तलेख विशेषज्ञ से पुष्टि कराई थी।

शीर्ष अदालत ने 2016 में पारित मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने निचली अदालत के फैसले को एक हत्या के मामले में पांच लोगों को दोषी ठहराने और आजीवन कारावास की सजा देने की पुष्टि की।

शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में अभियोजन पक्ष ने कथित तौर पर अभियोजन पक्ष के गवाह को संबोधित अंतर्देशीय पत्र में निहित एक आरोपी की लिखावट को साबित करने के लिए हस्तलेख विशेषज्ञ की जांच नहीं की और न ही किसी विशेषज्ञ की राय ली गई।

पीठ ने कहा कि उसकी राय में उच्च न्यायालय ने आरोपी द्वारा कथित अतिरिक्त न्यायिक कबूलनामे के संबंध में उन सबूतों को खारिज कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने कहा, एक अनूठा निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि आरोपी कथित अपराधों के दोषी हैं, केवल इसलिए कि वे यह बताने में विफल रहे कि पीड़ित की मौत किन परिस्थितियों में हुई।

पीठ ने कहा कि चूंकि सुपर-इम्पोजिशन रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे किसी अन्य विश्वसनीय चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्टि नहीं कराई गई थी, इसलिए शव की पहचान पर विश्वास करने वाले आरोपी को दोषी ठहराना बहुत जोखिम भरा होगा।

आरोप है कि जुलाई 2007 में आरोपी ने साजिश रचकर एक कार की डकैती करने और वाहन के चालक की हत्या करने की योजना बनाई थी। चालक की हत्या कर शव को गड्ढे में दबा दिया गया था। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने कार बेच दी और पैसे बांट लिए।